



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 911]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939

No. 911]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

**का.आ. 1023(अ).**— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा उक्त उपवाक्य के उद्देश्य के लिए मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, जोकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित आयोग है, को इस आयोग को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट से होने वाले आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:—

- (क) याचिका शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
- (ख) बचत पर अर्जित ब्याज के रूप में प्राप्त राशि
- (ग) दण्ड और प्रभार से प्राप्त राशि; और
- (घ) अन्य अनुषंगिक आय जोकि अनुदान, टेंडर कागजातों की बिक्री, प्रसंस्करण शुल्क, अभिप्रमाणित प्रतिशुल्क, पुराने समाचार पत्रों की बिक्री, लाइसेंस शुल्क, वाहनों के किराए, कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण से प्राप्त ब्याज से प्राप्त राशि, सूचना का अधिकार के आवेदन से प्राप्त राशि, टैरिफ बुक के संवितरण से प्राप्त राशि के रूप में प्राप्त होती है।

2. इस अधिसूचना के प्रावधान इस शर्त के साथ लागू होंगे कि मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग,-

- (क) किसी अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलाप में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) के क्रियाकलाप और इस तरह की विनिर्दिष्ट आय के स्वरूप में पूरे वित्तीय वर्षों में कोई बदलाव नहीं होगा; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (छ) के प्रावधानों के अनुसार अपना आयकर रिटर्न भरेगा।

3. इस अधिसूचना के लिए यह माना जाएगा कि यह वित्तीय वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के लिए लागू हुई है।

[अधिसूचना सं. 23/2017/फा. सं.196/27/2014-आईटीए- I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

**स्पष्टीकरण ज्ञापन:** यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने पर किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

**S.O. 1023(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, a Commission constituted by the State Government of Madhya Pradesh, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:—

- (a) amount received as petition fees;
  - (b) amount received as interest on savings;
  - (c) amount received as fines and charges; and
  - (d) other incidental income received as Grants, sale of tender documents, processing fees, certified copying fees, sale of old newspapers, license fee, vehicle rent, interest on loans to staff, Right to Information receipts, receipts from 'Distribution of Tariff Book'.
2. The provisions of this notification shall be effective subject to the conditions that Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission,—
- (a) shall not engage in any commercial activity;
  - (b) activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
  - (c) shall file returns of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the Income-tax Act, 1961.
3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019

[Notification No. 23/2017/F. No.196/27/2014-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

**Explanatory Memorandum:** It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.